

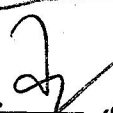
विधान सभा प्रश्न क्र० 2639 अतारांकित के प्रश्नांश (ग) की जानकारी

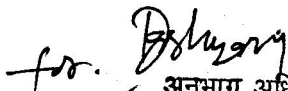
श्री विजय कुमार चौरसिया तत्कालीन स.भू.सं.अधि.के पद पर जिला खरगोन में पदस्थ अवधि के दौरान एवं कार्यालय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास इन्दौर संभाग इन्दौर में उपलब्ध अभिलेख अनुसार संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय इन्दौर संभाग इन्दौर एवं पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ तथा विभागीय कार्यवाही के प्रकरण दर्ज है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०	कार्यालय	प्रकरण क्रमांक	प्रकरण का विवरण
1	2	3	4
1	लोकायुक्त इन्दौर के 08 प्रकरण।	36/19 37/19 38/19 39/19 40/19 41/19 42/19 43/19	उप संभाग खरगौन में विभिन्न विकासखंडों में म.प्र.रोजगार ग्रामीण योजना अंतर्गत हितग्राहियों को स्वीकृत कपिलधारा कूपों के निर्माण में सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उप संभाग खरगौन एवं अन्य के द्वारा पदीय दायित्वों के दुरुपयोग के संबंध में श्री विजय चौरसिया तत्का. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उप संभाग खरगौन एवं अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हैं एवं जाँच प्रक्रियाधीन है।
2	आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ का 01 प्रकरण।	44/15	श्री विजय कुमार चौरसिया तत्का. उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला-मुरैना के विरुद्ध शिकायत पंजीबद्ध हैं।
3	विभागीय जाँच के 02 प्रकरण	शासन पत्र क्रमांक एफ-4ए-09/2018।14-1-दिनांक 3.09.2019	मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-4ए-09/2018।14-1दिनांक 23.09.2019 द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया है। संबंधित अधिकारी का बचाव उत्तर अप्राप्त है। विभागीय जाँच प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

		शासन पत्र क्रमांक एफ-4ए-06/2017/14-1-दिनांक 10.04.2017	मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, के पत्र क्रमांक एफ-4ए-06/2017/14-1 दिनांक 10.04.2017 द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया। विभागीय जांच की प्रक्रिया में दिनांक 15.05.2019 द्वारा जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।
4	संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास	01	श्री विनोद कुमार दिवाकर, पत्रकर द्वारा लोकसेवा प्रबंधन विभाग में शिकायत क्र0 1000004329 दि0 22.10.2019 विरुद्ध श्री विजय कुमार चौरसिया पद का दुरुपयोग भ्रष्टाचार एवं नियामों की अवहेलना संबंधी शिकायत की जांच संचालनालयीन पत्र क्र0 अ-5-सी-2/इन्दौर/11/2019/34दि0 06.01.2020 से संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास इन्दौर संभाग इन्दौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।

परिशिष्ट (2) पृष्ठ 01 से 02 तक


 अपर संचालक (शिकायत)
 किसान कल्याण तथा कृषि विकास
 म0प्र0 भोपाल


 अनुभाग अधिवक्ता
 मध्य प्रदेश शासन
 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
 मंत्रालय, भोपाल